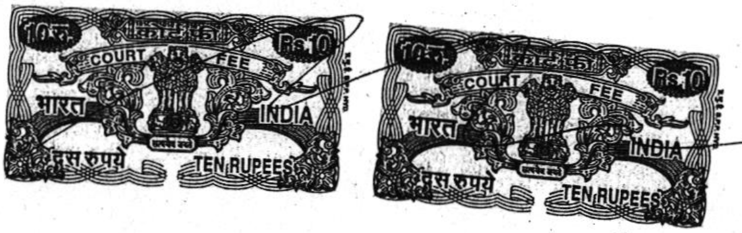

102

न्यायालय श्रीमान सदस्य महोदय, म0प्र0 राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प भोपाल

प्रकरण क्र...../ R-4450-II/12

द्वारकाप्रसाद आ.नारायण सिंह जाति सुतार
कृषक निवासी ग्राम धबौटी तह.व जिला–सीहोर म.प्र..........निगरानीकर्ता

विरूद्ध

1. विजय सिंह सोलंकी आ.ऊंकार सिंह
   निवासी–देवनगर कालोनी सीहोर
2. बाबूलाल आ.बनेसिंह ठाकुर
3. भगवत आ.बनेसिंह
   दोनो निवासीगण ग्राम धबौटी,
   तहसील व जिला–सीहोर म.प.........................प्रति निगरानीकर्तागण

अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर
भोपाल संभाग, भोपाल

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं01959 विरूद्ध आदेश दिनांक 31/10/2012 जो प्रकरण क्र.31/निगरानी 2011–12 में अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर सीहोर द्वारा पारित किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी सीहोर द्वारा प्रकरण क्र.65 अपील/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 12/07/2011 को निरस्त किया जाकर तहसीलदार सीहोरके प्रकरण क्र.33/अ6अ/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 01/06/2010 के परीक्षण हेतु प्रत्यार्वतित किया गया।

श्रीमान जी,

निगरानीकर्ता आलोच्य आदेश से दुखी एवं प्रभावित होकर निम्न तथ्य एवं आधारो पर निगरानी प्रस्तुत करता हैं :–

तथ्य

1. यह कि निगरानीकर्ता को भूमिहीन कृषक होने के कारण उसके आधिपत्य की भूमि सर्वे नं.320/1 रकबा 1.793 हेक्टेयर का पट्टा प्राप्त हुआ था तथा प्रति निगरानीकर्ता नं.2 बाबूलाल आ.बनेसिंह का आधिपत्य भूमि सर्वे नं.108/2 रकबा 1.012 हेक्टेयर का पट्टा प्राप्त हुआ था।

2. यह कि हल्का पटवारी द्वारा त्रुटिवश निगरानीकर्ता के पट्टे पर भूमि सर्वे नं. 108/2 एवं प्रति निगरानी क्र.2 बाबूलाल के पट्टे पर निगरानीकर्ता के आधिपत्य की भूमि का सर्वे नं.320/1 अंकित कर दिया गया था, इस लेख्य त्रुटि की जानकारी प्राप्त होने पर निगरानीकर्ता एवं प्रति निगरानीकर्ता क्र.2बाबूलाल द्वारा संयुक्त रूप से त्रुटि सुधार हेतु आवेदन पत्र दिनांक 13/04/2010 को अधीनस्थ तहसीलदार महोदय,सीहोर के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिस पर प्रकरण क्र.33अ,6अ/2009–10 दर्ज किया जाकर जांच उपरांत आदेश दिनांक 01/06/2010 द्वारा पट्टो में अंकित सर्वे नं.को सुधारने हेतु आदेश प्रदान किये गए। जिसके अनुसार निगरानीकर्ता एवं प्रति निगरानीकर्ता क्र.2 को उनके वास्तविक आधिपत्य वाले भूमि के पट्टे संशोधित होकर प्राप्त हो गए।

निरन्तर...2

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 4450-II/12 जिला सीहोर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9/11/18 भोपाल	आवेदक अभि० श्री एस० के० श्रीवास्तव उपस्थित होकर आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रकरण क्रमांक अनुविभागीय अधिकारी सीहोर के न्यायालय में प्रचलन प्रकरण में आवेदक के पक्ष में निर्णय हो चुका है अतः प्रकरण अब चलाना नहीं चाहते हैं प्रकरण न चलाने के कारण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है सदस्य	

[कृ. प. उ.